

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

~~सहायक न्यायाधीश एवं कार्यपालक~~ मजिस्ट्रेट खण्डेला

न सावित्री मल बनाम कुलशायन कौं

मुकदमा प्रा० पत्र T.I. मुकदमा नं. 92 सन् 2019

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
9-19	<p>प्राची की ओर से वसीम शी मुख्तियार वाजिदा ने प्रा० पत्र पेश किया। रिपोर्ट सारिस्ता ली गयी। प्रा० पत्र इसी दिनांक पर पेश किया जाये। स्वयं पर कच क्रीम प्राची एक पक्षिपे हुनी गयी। परन्तु पीव फलामपी पर उपलब्ध राफस रेकार्ड का अध्ययन किया गया। अप्राचीगण को जसि अन्तरि अस्था रिषेधाना से पावड किया जाय उचित प्रतीत होता है अतः अप्राचीगण को जसि अन्तरि अस्था रिषेधाना से आगामी ल० पेशी पावड किया जाता है कि राफस श्राप खण्डेला के शक्ति ख० 403/1 वरडा 0.7967 पर मोके की यथा स्थिति बनाए रखे बेधान अन्तरण नही करे। उम्ह आरप के गोदिय अप्राचीगण को गयी किया जस लक किया जाये त हमीमदा खण्डेला को तहसील गयी है कि विवादित शक्ति पर खातेदारी के इकाय बनाकर बेचान करना R.T.A. धारा 177 अधीन है निधमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट दिनांक 3-10-19 को पेश है।</p>	<p>3698-3781 3.9.19</p>

उपलब्ध अधिकारी
खण्डेला. (सी.ए.)

10
19

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कई बार
आवाज लगावार्थ गई। कमीन तारीख अवकाश प्राप्त
कारण में दो कोर्ट भी हाजिर अदालत नहीं
आया। अतः प्रकरण अदालत हाजरी एवं अदालत पेशगी
में जारीज किया जाता है। पत्रावली जैमल अदालत
होकर नम्बर से कुछ दो तथा बाद तबकील
फाविल फाविल है। निर्णय पुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

जज
अदालत
हुक्म
दिनांक